संख्या-13 /2025/668/तीस-3-2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2025

विषय: सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, फर्रूखाबाद में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-160नजारत/2025-104ए/2021, दिनांक 11 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, फर्रूखाबाद में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित/संस्तुत लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)	द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत हेतु धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	5		
1	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, फर्रूखाबाद में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन का निर्माण।	कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम)	1366.13	**200.00**	**200.00**
				योग -	**200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध -

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसकी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(5) प्रशासकीय विभाग योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।

(6) कार्य की विशिष्टयॉं, मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(7) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(8) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(9) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-4059-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-21-परिक्षेत्रीय/संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों-बरेली, गाजीपुर, फर्रूखाबाद, हापुड़, देवरिया, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-13/2025/668 (1) /तीस-3-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी- फर्रूखाबाद।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।